भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3227

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मिलावटी और कृत्रिम उत्पादों की बिक्री

3227. डॉ. भोला सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूध, पनीर, मावा और अन्य डेयरी उत्पादों के नाम पर मिलावटी, कृत्रिम या नकली उत्पादों की बिक्री से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से बाजार की निगरानी करने और शिकायत निवारण की कोई व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उत्पादों की बिक्री के संबंध में प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) कृत्रिम मिलावटी या मिलावटी उत्पादों को शुद्ध डेयरी उत्पादों के रूप में बेचने या भ्रामक लेबलिंग या विज्ञापनों का सहारा लेने के लिए विक्रेताओं/निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बार-बार उक्त कृत्यों में शामिल होने वाले व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का क्या प्रावधान है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों की पहचान करने के प्रति जागरूक करने तथा बाजार में शुद्ध डेयरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक सशक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) की शिकायतें/चिंताएँ वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, एफएसएसएआई हेल्पलाइन, राज्य हेल्पलाइन, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की जाती हैं। फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल पर शिकायतें ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) का हिस्सा हैं। विगत तीन वर्षों में दूध और दुग्ध उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

	2023-24	**2024-25**	**2025-26***
प्राप्त शिकायतें	356	531	846
समाधान की गई शिकायतें	334	488	635
लंबित शिकायतें (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास)	22	43	211

* आंकड़े अनंतिम है।

लगभग 98% खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एफएसएस अधिनियम, 2006 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों में निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए, राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण पूरे खाद्य क्षेत्र में देख-रेख, निगरानी अभियान, लक्षित प्रवर्तन अभियान, निरीक्षण और नमूना संग्रहण कार्यकलाप संचालित करते हैं।

निर्धारित मानकों से कोई भी विचलन या खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम (एफएसएसआर) के प्रावधानों का उल्लंघन, पाए जाने पर, एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार अनुपालन न करने वाले एफबीओ के खिलाफ कड़ी नियामक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, इसमें लाइसेंस का निलंबन और रद्दीकरण तथा एफएसएस अधिनियम, 2006 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अननुरूप खाद्य पदार्थों का विक्रय, जब्ती और नष्ट करना तथा न्यायनिर्णयन (सिविल) और अभियोजन (आपराधिक) के माध्यम से न्यायिक कार्रवाई शामिल है।

एफएसएसएआई ने भ्रामक दावों, लेबलिंग और विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 बनाए है। इन विनियमों में खाद्य व्यवसायों द्वारा दावे करने के लिए स्पष्ट विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। यह विनियमन यह निर्धारित करता है कि खाद्य-संबंधी विज्ञापन

और दावे सटीक, अप्रवचंक और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इन अपेक्षाओं का पालन करना खाद्य व्यवसाय की जिम्मेदारी है। विगत 3 वर्षों में अनुपालन न करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामले	अपराधिक मामले
			जुर्माने के साथ तय किए गए	दोषसिद्धि की संख्या
*** 2025-26**	223,808	40023	31878	1918
2024-25	170535	34388	30142	1265
2023-24	170513	33808	29586	1161

*** वित्त वर्ष 2025–26 के आंकड़े अनंतिम है।**

एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- एफएसएसएआई ने खाद्य मिलावट के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए "#नो टू एडल्टरेशन" जैसे कई अभियान शुरू किए हैं। इन पहलों में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन, शैक्षिक सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
- अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर "मिलावट की जांच कैसे करें" पर वीडियो, जिनमें दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल आदि सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के तरीकों को दिखाने वाले छोटे वीडियो शामिल हैं। ये सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।
- एफएसएसएआई स्वस्थ खान-पान और जानकारीपूर्ण निर्णयों के लिए नागरिकों को लेबल साक्षरता से सशक्त बनाने हेतु "#हर लेबल कुछ कहता है" नामक एक जागरूकता अभियान भी चला रहा है। यह पहल उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन), अवयव- सूची, एलर्जन चेतावनी, और तारीख अंकन जैसे प्रमुख तत्वों के बारे में शिक्षित करती है।

- उन्नत, उपयोग में आसान रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग (रैपिड) किट पोर्टेबल और हाथ में आसानी से पकड़े जाने वाला उपकरण हैं। इन किटों के माध्यम से स्थल पर परीक्षण करने के लिए किसी परिष्कृत उपकरण या पारंपरिक अभिकर्मकों की आवश्यकता नहीं होती है।
- फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने में सहायता करता है। इसमें विश्वसनीय "क्विक स्क्रीनिंग टेस्ट" होते हैं जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति घरेलू स्तर पर कर सकता है। इसमें 06 खाद्य श्रेणियों में कुल 107 परीक्षण शामिल हैं, जिनमें स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट, सेलूलोज़, माल्टोडेक्सट्रिन, सैलिसिलिक एसिड, ग्लूकोज आदि जैसे मिलावटी पदार्थों का पता लगाना शामिल है।
- डिटेक्ट एडल्टरेशन विद रैपिड टेस्ट (डार्ट) पुस्तिका में दूध और दुग्ध उत्पाद, तेल और वसा, शर्करा और मिठाई, खाद्य अनाज और उनके उत्पाद, मसाले और मसाला उत्पाद जैसी विभिन्न खाद्य श्रेणियों में मिलावट का पता लगाने के लिए 44 से अधिक त्वरित परीक्षण शामिल हैं।
